Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(WORTH-REPORTABLE)

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टी.ए./5175/2002/करौली

हरिबल्लभ पुत्र स्व0 श्री रामनिवास, जाति महाजन, निवासी टोडाभीम, तहसील टोडाभीम, जिला करौली।

-- अपीलांट

बनाम

1. भगवानसहाय (रिटायर्ड कम्पाउन्डर) पुत्र स्व0 श्री रामनिवास, जाति महाजन, हिनवासी टोडाभीम, तहसील टोडाभीम, जिला करौली, हाल निवासी म0नं0 बी-91, मालवीय नगर, जयपुर।
2. डॉ0 तुलसीराम गुप्ता, चिकित्सा प्रभारी, पुत्र स्व0 श्री रामनिवास, जाति महाजन, निवाासी टोडाभीम, तहसील टोडाभीम, जिला करौली, हाल पदस्थापित राजकीय चिकित्सालय पोस्ट मेहन्दीपुर बालाजी, तहसील टोडाभीम, जिला करौली।

-- रेस्पोडेन्टस

खण्ड पीठ
श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री शंकर लाल शर्मा, सदस्य

उपस्थित :-
(1) श्री हगामीलाल, अधिवक्ता अपीलांट।
(2) रेस्पो0 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही।

निर्णय

दिनांक : 26 फरवरी, 2018

यह अपील धारा 224, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा अपील संख्या 203/2001 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28-5-2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2- अपील के संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट-वादी हरिबल्लभ ने विचारण न्यायालय उप जिला कलक्टर, हिण्डौन के न्यायालय में एक वाद खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रत्यर्थीगण-प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद पत्र में अंकित आराजी बाबत प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 03-7-2001 के द्वारा उक्त वाद को डिक्री करते हुए अपीलांट-वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए

प्रत्यर्थीगण–प्रतिवादीगण का नाम राजस्व अभिलेख से हजब करने के आदेश पारित किये, जिससे व्यथित होकर प्रत्यर्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिन्होनें अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–5–2002 के द्वारा अपील स्वीकार कर उप जिला कलक्टर, हिण्डौन के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 3–7–2001 को खारिज कर दी, जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की अपील पर बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रत्यर्थीगण को बार–बार आवाज लगवाई गई, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए, अतः बहस एकतरफा में सुनी गई।

4– विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रतिवादीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में अपील विलम्ब से प्रस्तुत की थी, विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण नहीं बताया है। अतः उनका निर्णय दिनांक 28–5–2002 निरस्त योग्य है। उनका तर्क है कि वादी के पिता ने वादी के पक्ष मे ंवसीयत दिनांक 01–8–1975 को थी और वादी के पिता की मृत्यु दिनांक 02–12–1985 को हुई थी और वादी ने वाद दिनांक 24–5–1997 को प्रस्तुत किया है। इस प्रकार वादी ने अपना वाद पिता की मृत्यु के 12 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया है, न कि 22 वर्ष बाद, जैसा कि राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय में अंकित किया है। उनका तर्क है कि कोई भी वसीयत उसका निष्पादन करने वाले की मृत्यु के उपरांत ही लागू होती है। प्रस्तुत मामले में वादी के पिता ने 1975 में वसीयत की थी, उसके उपरांत भी लगभग 10 वर्ष तक जीवित रहे तो उस दौरान वादी किस प्रकार पिता की जमीन पर वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी होता। उनका तर्क है कि वादी के पिता के जीवन काल में प्रतिवादीगण ने कभी भी उक्त वसीयत के सबंध में कोई आपत्ति नहीं की और न ही वादी के पिता की मृत्यु के पश्चात भी कोई आपत्ति वादी द्वारा उक्त विवादित आराजी पर की जा रही काश्त के संबंध में नहीं की। उनका तर्क है कि विवादित आराजी पर

वादी एवं प्रतिवादीगण सभी का अधिकार था क्योंकि उक्त आराजी मृतक रामनिवास की खातेदारी में थी और उसके मरने के बाद उसके तीनों लडके भगवानसहाय, डॉ0 तुलसीराम एवं हरिबल्लभ के नाम राजस्व रिकार्ड में बहिस्सा बराबर तीनों के नाम दर्ज हुई। उनका तर्क है कि मात्र राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज होने से ही किसी का भूमि पर अधिकार नहीं हो जाता है, क्योंकि प्रस्तुत मामले में विवादित आराजी के संबंध में वादी के पिता रामनिवास ने वादी के पक्ष में स्पष्ट वसीयत कर दी थी तथा प्रतिवादीगण ने उक्त वसीयत के संबंध में कभी कोई आपत्ति नहीं की। इसलिए राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं विधिनुरूप नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने आरआरडी 2011 पेज 8 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

5– हमने अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान आद्योपांत परिशीलन किया।

6– विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य नकल जमाबंदी संवत 2033 से 2036 में वादग्रस्त आराजी रामनिवास पुत्र लच्छी राम की खातेदारी में दर्ज थी। तत्पश्चात बाद की जमाबंदियों में उक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है। पत्रावली में उपलब्ध वसीयतनामा दिनांक 01–8–1975 के अनुसार मृतक रामनिवास ने वसीयत में यह अंकित किया है कि उसने सबसे बडे लडके हरिबल्लभ से अपने पास काम काज करने के लिए नौकरी छुडा ली तभी से मेरे से बराबर रहकर कामकाज करता है। दूसरा लडका भगवानसहाय सरकारी कम्पाउन्डर है, जो घर का काम नहीं करता तथा तीसरा लडका डॉक्टरी पढ रहा है, जो डॉक्टर बन जायेगा। इसलिए मेरे खाते की जमीन पर बडे लडके हरिबल्लभ का अधिकार रहेगा। छोटे दोनों लडको का जमीन से कोई सरोकार नहीं रहेगा। बडा लडका

कम्पाउन्डर है व छोटा लडका डॉक्टर हो जायेगा। हरिबल्लभ को नौकरी से लाने के एवज में खातेदारी की वसीयत करता हूं। यहां यह उल्लेखनीय है कि वसीयत का पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है, बल्कि उसको सिद्ध करना आवश्यक है। वसीयत पर स्वयं के हस्ताक्षर के अलावा गवाही में गंगासहाय व लक्ष्मीनारायण शर्मा के हस्ताक्षर है। लक्ष्मीनारायण गवाह ने दिनांक 16–1–2000 को हरिबल्ल्भ के हक में वसीयत नामा लिखने की ताईद अपने बयानों में की है और अपने हस्ताक्षर असल वसीयत पर ए टू बी होना कथन किया है। इस प्रकार विवादित आराजी मुताबिक वसीयत अकेले वादी के हक में मानी गई है। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी प्रदर्श 5 विवादित आराजी रामनिवास की खातेदारी में दर्ज है। नकल जमाबंदी प्रदर्श 3 में वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार पुराने खसरा नम्बरों एवं नये खसरा नम्बरों का मिलान होता है।

7– राजस्थान काश्तकारी कानून की धारा 39 के अनुसार खातेदार आसामी अपनी भूमि क्षेत्र में अपने हित को या हित के भाग को उसके व्यक्तिगत कानून के अनुसार, जो उस पर लागू होता है वसीयतनामे के आधार पर वसीयत में दे सकता है। धारा 40 के अनुसार जब खातेदार वसीयतनामा किये बिना फौत जावे तो उसके भूमि क्षेत्र में निहित उसके हित उसके व्यक्तिगत कानून के अनुसार अवतरण होंगे, जिसके कि वह मृत्यु के समय अधीन था। उक्त धारा 39 एवं 40 निम्न प्रकार है :–

(39) **Bequest**- A Khatedar tenant may by will bequeath his intrest in the holding or part thereof in accordance with the personal law to which he is subject.

(40) **Succession to tenant**- When a tenant dies intestate, his intrest in his holding shall devolve in accordance with the personal law to which he was subjaect at the time of his death.

8– विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2011 आरआरडी पेज 8 इस प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होता है।

9– इस प्रकार विवादित आराजी मुताबिक वसीयत तन्हा वादी की खातेदारी में रखने का जो निर्णय विचारण न्यायालय ने पारित किया है, उसमें किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाई जाती है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायलाय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये बिना आक्षेपित निर्णय पारित किया है, जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता।

10– उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–5–2002 निरस्त किया जाता है एवं उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03–7–2001 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शंकर लाल शर्मा)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष